

कार्य द्वारा जारी प्रादि. करण
18/2 पत्रावली पेश हुई दिनांक 19/2
निर्वाचन कार्य।

में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना
में दिनांक 8/4/19 को पेश हो।

28/2/19

शर्षी एवं उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक
26.2.19 को प्रस्तुत शर्षीन फा वाकत
सीगद से पत्रावली तलब करणे से
आज पत्रावली पेश हुई। शर्षी एवं उनके
अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
निवेदन किया है कि पक्षकाराद के मध्य
आपसी समझौता हो चुका है जिससे
प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते
हैं। शर्षी एवं उनके अधिवक्ता द्वारा
प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं
चाहने से प्रकरण इसी स्टेज पर
खारीज किया जाता है। पत्रावली फेंकल
शुभत हो कर नाखत से कम हो। निर्णय
रुले न्यायालय में सुनाया गया।

Le
साजीराबा

इ.द. 24
साजीराबा



उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द